97/19 लैण्डहोल्डर बनाम राजसरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21-1-2021	लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उपस्थित~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो। रीडर
3-2-2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप0। लैण्ड होल्डर ने स्वयं के बयान दर्ज करवा कर अपनी साक्ष्य पूर्ण की। वास्ते बहस पत्रावली दि0 9-2-2021 को पेश हो।
9/2/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप. हैं। बहस सुनी गई। प्रा.पत्र अंतर्गत 177 RI Act स्वीकार किया जाकर भूमि ख.न. 5376/0.12 है., ख.न. 2100/5376/0.12 है., ख.न. 2101/5376/0.10 है0 ग्राम उदेईकला को सिवायचक घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख रजू | तारीख निर्णय

97/2019 5.08.2019 9.2.2021

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

रामकिशन पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर निवासी वार्ड न0 19 रैगर मौहल्ला, गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :—लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉ पटवार मंडल उदेईकलॉ स के आराजी आराजी ख0न0 5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8100/5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8101/5376 रकबा 0.10 है0 रामकिशन पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर निवासी वार्ड न0 19, रैगर मौहल्ला गंगापुर सिटी के नाम जमाबंदी संवत 2073–2076 खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे अप्रार्थी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत के भूमि को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित किया है। भूमि ख0न0 5376 रकबा 0.12 है0 व ख0न0 8100/5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8101/5376 रकबा 0.10 है0 कृषि भूमि है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा बिना कोई भू परिवर्तन कराये कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित किया है जो अवैधानिक है तथा राजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत है और भूमि का सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8100/5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8101/5376 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेईकलॉ स को सिवायचक घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे। भूमि को कब्जा राज मे लिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ । अतः इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 727, नकल नक्शा ट्रेस, प्रमाणित प्रति ... रिपोर्ट दिनांक ...5.2019 एवं न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 29.7.2019

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी ने कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि के रूप मे उपयोग मे लिया है जिसके बारे मे अप्रार्थी को कई बार अवगत करा देने के बाद भी अप्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नही की है, इस कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे, अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे एवं भूमि को कब्जे राज मे लिया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 727 में रामकिशन पुत्र अमूदयाल जाति रैगर के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी मे अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 के अनुसार खातेदार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व इस भूमि मे प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेचान कर दिया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 91 एल.आर.एक्ट सहपठित धारा 90 ए लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे कार्यवाही की गई है। इस अभिलेख से खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि का सक्षम स्वीकृति के बिना कृषि से अकृषि मे भूमि परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। खातेदार अप्रार्थी का यह कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8100/5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8101/5376 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेईकलॉ स को सिवायचक घोषित किया जाता है। यह भूमि खातेदार अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज की जावे एवं कब्जेराज मे ली जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी